

FAN

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद - 1

संख्या: कल्याण-12ए-पीएसपी-2016 दिनांक: दिसम्बर 7, 2017

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय: पुलिस सैलरी पैकेज के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों को पीएसपी सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक भारतीय स्टेट बैंक के पत्र संख्या: पीबी-1-256 दिनांक 27.11.2017 का न करने का कष्ट करें जो पुलिस सैलरी पैकेज(पीएसपी) योजना के अन्तर्गत 7774 खातों का में परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में है।

2. अवगत कराना है कि उपमहाप्रबन्धक(पीबीबीयू) भारतीय स्टेट बैंक वैयक्तिक बैंकिंग विभाग-II स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ के उक्त पत्र के अनुसार जिन 7774 अधि०/कर्मचारियों के खाते पीएसपी में परिवर्तित नहीं हो पाये हैं। वे अपने सम्बन्धित शाखा में अपने खातों का भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार केवाईसी प्रलेख जमा कर अपना खाता पीएसपी में अविलंब परिवर्तित करा लें जिससे कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी पीएसपी सुविधाओं विशेषतया व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के कवर से वंचित न रह जाए।

3. बैंक के माध्यम से लाभ प्राप्त करने हेतु यह भी अवगत कराया है कि पुलिस कर्मों की केवल दुर्घटना से मृत्यु हुई हो, खाता पुलिस सैलरी पैकेज के अन्तर्गत खुला/परिवर्तित हो, घटना की तिथि से पिछले दो माह से खाते में नियमित वेतन जमा हो रहा हो। की सूचना उपलब्ध कराने के उपरान्त दुर्घटना वाद की पात्रता निश्चित की जा सकेगी तथा दावाकर्ताओं द्वारा सम्बन्धित शाखाओं के माध्यम से बीमा कंपनी को निर्धारित समयावधि (90 दिन) में दावा प्रेषित करना होगा।

4. उल्लेखनीय है कि उपमहाप्रबन्धक(पीबीबीयू) भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व पत्र दिनांक 12.10.2017 के अनुक्रम में पुलिस मुख्यालय के पत्र दिनांक 27.10.2017 एवं 06.11.2017 द्वारा उपरोक्त अंकित कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

6. अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि जनपद/इकाई में पुलिस सैलरी पैकेज (पीएसपी) योजना के अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को लाभ प्रदान किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराते हुए उ0प्र0 मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

6. इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय कि उक्त योजना में सम्मिलित कार्मिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने के प्रकरण में निर्धारित 90 दिन की समयावधि के अन्दर प्रत्येक दशा में ANNEXURE-4 में उल्लिखित बीमा कम्पनी को दावा उपलब्ध कराते हुए पुलिस मुख्यालय एवं सम्बन्धित बैंक शाखा को भी सूचित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक: बैंक पत्र की छायाप्रति।

7.12.17
(ऋचा सिंह)

विशेष कार्याधिकारी कल्याण,

नि० अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उत्तर प्रदेश।

उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार) मुख्यालय
उ० प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय
महानगर, लखनऊ

08.12.17

मुख्यालय
॥ CFAP २००० ॥

[Handwritten signature]

30-4-47



भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

वैयक्तिक बैंकिंग विभाग - I

8ठा तल, ए-खण्ड, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ-226001
Personal Banking Deptt. - I
6th Floor, A-Wing, Local Head Office, Moti Mahal Marg, Lucknow-226001

Tel: 0522 - 2230053

Fax : 0522 - 2234027

E-mail : agripbbu1.lko@sbicoin

विशेष कार्याधिकारी, कल्याण,
नि. अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद-1

दिनांक/Date: 27/10/2017

क्रमांक/Ref. No.: PB-I/ - 256

स्पीड पोस्ट

महोदया,

पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत पर्सनल दुर्घटना (मृत्यु) बीमा क्लेम के संबंध में

उपर्युक्त विषय में कृपया हमारे पत्र संख्या पीबी-1-205 दिनांक 12.10.2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा श्री अजहर अली खान, श्री राम प्रकाश यादव एवं श्री शैलेंद्र कुमार सिंह के विधिक उत्तराधिकारियों /नामितियों द्वारा बीमा कंपनी को शीघ्रातिशीघ्र सूचना एवं दावा प्रेषित कराने के लिए लिखा गया था। कृपया इन मामलों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं।

2. सैलरी पैकेज के अंतर्गत पर्सनल दुर्घटना बीमा क्लेम का निपटान बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है एवं बीमा कंपनी के नियमानुसार निर्धारित समयावधि (90 दिन) में मृत्यु की सूचना देना अनिवार्य है। अतः कृपया सभी संबंधित अधिकारियों एवं कार्यालयों को यह सूचित करावें कि दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के मामले में 90 दिन में annexure-4 (प्रति संलग्न) पर क्लेम की सूचना एवं इसके तुरंत बाद क्लेम प्रेषित करना अवश्य सुनिश्चित करें।

3. इस संबंध में आपको यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 27.10.2017 को nareshphq@gmail.com पर प्रेषित की गयी सूची में से अभी भी दिनांक 20.11.2017 की अद्यतन स्थिति के अनुसार 7774 खातों को पुलिस सैलरी पैकेज में परिवर्तित किया जाना शेष है। अतः कृपया इन सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित करावें, जिनके खाते अभी पीएसपी में परिवर्तित नहीं हो पाये हैं, कि वे संबंधित शाखा में अपने खातों को पीएसपी में अविलंब परिवर्तित करा लें जिससे कि कोई भी अधिकारी / कर्मचारी पीएसपी सुविधाओं विशेषतया व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के कवर से वंचित न रह जाए।

भवदीय

Ampharan
उपमहाप्रबंधक (पीबीबीयू)

Urgent

Si MC

Pl. issue circular today.

Ac
01/12/17
son

502
30-11

"यदि आप हिन्दी में पत्र व्यवहार करना चाहें तो हम इसका स्वागत करेंगे"

Future Generali India Insurance Co. Ltd.
Address: Future Generali Health, Office No. 3, 3rd Floor,
"A"-Building, G-O-Square, Wakad, Pune - 411 057, Maharashtra
Email Id: fgh@futuregeneralii.in

**GROUP PERSONAL ACCIDENT/ AIR ACCIDENT CLAIM INTIMATION FORM
TO BE SUBMITTED FOR CLAIMING PERSONAL ACCIDENT INSURANCE (DEATH) /
AIR ACCIDENT INSURANCE COVER ON SALARY PACKAGE ACCOUNT HOLDERS OF SBI**

*Issuance of this format for intimation of a claim is not to be taken as an admission of liability.
(To be submitted to Future Generali India Insurance Co Ltd (FGIICL) within 90 days after date of death of Salary
Package Account holder)*

Policy	State Bank of India – Salary Account Holders	Fax No.: 1800 209 1017 / 1800 103 9998 Tollfree Phone: 18001038889/18002091016
Policy No. A0869238 for Policy Period 04/01/2017 to 03/01/2018		

1	Name of Salary Account holder	
2	Address in full	
3	Age (in years)	
4	a) Date of Accident	
	b) Time of Accident	
	c) Place of Accident	
	d) Details of Accident	
	e) Date of Death	
5	a) Name of the Bank Branch where the Salary Package Account is maintained	
	b) Branch Code of the Bank Branch where the Salary Package Account is maintained	
	c) Postal Address of Bank Branch to which correspondence can be exchanged by FGIICL	

6	Salary Package Account No	
7	Type of Salary Package Account	# CSP/DSP/PMSP/ICGSP/SGSP/CGSP/PSP/RSP/SUSP
8	Variant of Salary Package A/C	@ Silver/ Gold/ Diamond/ Platinum
9	Name of the organization in case of DSP / PMSP / ICGSP	@ Army / Air Force / Navy / Indian Coast Guard/ Assam Rifle / Rashtriya Rifle / BRO (GREF) / BSF / CRPF / CISF / ITBP / SSB / NSG
10	Personnel / Force number in case of DSP / PMSP / ICGSP	
11	Name of Nominee in the salary package account (if Available)	
12	Relationship of Nominee with Account Holder (if Available)	
13	Address of the Nominee (if available)	
14	E Mail ID of Nominee (if available)	
15	Mobile Number of Nominee (if available)	

[# Corporate Salary Package (CSP), Defence Salary Package (DSP), Para Military Salary Package (PMSP), Indian Coast Guard Salary Package (ICGSP), State Government Salary Package (SGSP), Central Government Salary Package (CGSP), Police Salary Package (PSP) and Railway Salary Package (RSP), Start up Salary Package (SUSP)]
(@ STRIKE OUT WHAT IS NOT APPLICABLE)

The foregoing details are true to the best of my / our knowledge and belief.

Signature of Person Intimating Claim

Full Name of person Intimating Claim

Relationship with Insured

E Mail of Individual Signing Above (if available)

Mobile/ Contact Number of Individual Signing Above